Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बूंदी में पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी, थाना देई व कानिस्टेबल को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *11 मार्च।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की कोटा शहर इकाई द्वारा आज गुरूवार को बूंदी में कार्यवाही करते हुये पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी, थाना देई नारायण राम व कानि. हरिराम वर्मा थाना देई को 10 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. कोटा शहर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि शराब की लाईसेंसशुदा दुकानों की मासिक 7000 रुपये बंधी के रूप में देने के लिये थानाधिकारी, थाना देई जिला बूदीं पुलिस निरीक्षक नारायण राम एवं कानि. हरिराम वर्मा द्वारा 14 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की कोटा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री नरेश चौहान एवं उनकी टीम** के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये थाना देई, जिला बूंदी के **कानि. हरिराम वर्मा पुत्र श्री मूलचंद निवासी नानेर, तहसील पीपलू, जिला टोंक** को शराब की दूकान गांव बांक्या पर आकर परिवादी से 10 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। नारायण राम पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी देई को भी प्रकरण में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।